फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :— **भवानी सिंह** विपक्षी :— **केसर कुंवर**

किस्म मुकदमा :— 53—188 आरटीएक्ट पत्रावली संख्या :— **46/21 वाद**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 13.10.2025	

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस प्रार्थना अन्तर्गत धारा 10 जा.दी. पर सुनी गई।

अधिवक्त उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 के तहत वाद प्रस्तुत कर ग्राम चंगेड़ी की आराजी नम्बर 30, 1462/30 का बंटवाड़ा एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है। इन्ही वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 63, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर घोषणा, बंटवाड़ा, एवं स्थाई निषेधाज्ञा चाही गई थी। जो दिनांक 03.08.2021 को न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया गया है। जिसके प्रकरण संख्या 31/21 उनवान केशर कुंवर बनाम भेरूसिंह है। पूर्व में प्रस्तुत प्रकरण संख्या 31/21 वाद में इस वाद के वादीगण प्रतिवादी संख्या 5, 6 के रूप में रिकॉर्ड पर है। प्रकरण संख्या 31/21 वाद में प्रतिवादी संख्या 5, 6 जो इस वाद के वादीगण है के द्वारा जवाब में मय काउण्टर वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि का विभाजन तथा वादीगण अर्थात इस वाद के प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है। इस प्रकार इस वाद के वादीगण का पूर्व के वाद में प्रस्तुत काउण्टर वाद का अनुतोष एवं इस वाद का अनुतोष समान है। फिर भी उनके द्वारा पृथक से एक और वाद प्रस्तुत कर दिया गया। जो कि न्यायोचित नही है। ऐसे में उक्त वाद रेस जुडिकाटा (Res Judicata) का सिद्धांत से बाधित है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 11 रेस जुडिकाटा के सिद्धांत को समाहित करती है, जो बताता है कि एक ही वाद कारण के लिए किसी व्यक्ति को बार—बार परेशान नहीं किया जा सकता है। ऐसे में वादी का वाद सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 11 के तहत खारिज योग्य पाया जाता है।

: : आदेश : :

परिणास्वरूप वादी का वाद रेस जुडिकाटा (Res Judicata) के सिद्धांत से बाधित होने से सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 11 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 16:31:33 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली